न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, जावाल, वर्तमान में नगर पालिका, जावाल जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
2. श्री हिरा पुत्र मोतीजी, जाति- मेघवाल, निवासी- जावाल, तह. व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 39/2021

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही (प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की ओर से)

-: निर्णय :- **दिनांक 07 जुलाई, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 48 (पट्टा बुक संख्या 567) दिनांक 08.7.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुए एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को नियमों के विरुद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को जारी पट्टे के लिये भूमि विक्रय पत्रावली संधारित नही की गई है। ग्राम पंचायत, जावाल ने पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 199[illegible] विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया है। ग्राम पंचायत, जावाल ने नियमानु[illegible] नही करवाया है एवं भूमि का वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण [illegible] भी जारी नही किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 48 से संबंधित भूमि का ग्राम [illegible] जावाल द्वारा अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी मेघवाल, [illegible]वासी- जावाल के नाम [illegible] पट्टा संख्या 88

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 02.10.1972 को क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट का जारी किया गया था एवं उसके बाद उसी भूमि का ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी मेघवाल, निवासी- जावाल के नाम से पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत को पूर्व में विक्रय की गई भूमि को दुबारा विक्रय करने एवं उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही है। अतः ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी, जाति- मेघवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-

(iii) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 31.12.2016 तक संनिर्मित पुराने गृहों का विनियमितिंकरण करते हुए उक्तानुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकेगा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या-2 में यह [illegible] किया गया है कि ग्राम पंचायत, जावाल में सिरोही जालोर [illegible] के सामने स्थित भूखण्ड जिसका ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा सन् 1972-73 में पट्टा संख्या 88 मिसल संख्या 11/1 (सन् 1972-73)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 02.10.1972 को श्री हिरा पुत्र श्री मोती जी मेघवाल के नाम से क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट का जारी किया हुआ है, उसी भूखण्ड का पट्टा संख्या 48 (पट्टा बही संख्या 567) दिनांक 08.7.2020 को उसी व्यक्ति श्री हिरा पुत्र मोती जी मेघवाल को क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसके अन्दर आम सार्वजनिक रास्ते की भूमि को भी खुर्द बुर्द किया गया, जबकि रास्ते की भूमि का विक्रय करना वर्जित है। किसी सम्पति का विक्रय एक बार होने के उपरान्त ग्राम पंचायत का कोई अधिकार शेष नही होने के बावजदू भी ग्राम पंचायत द्वारा एक ही भूमि का दो बार विक्रय किया गया है, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या- 4 में यह भी अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि विक्रय की कार्यवाही से पूर्व नियमानुसार आपत्ति नोटिस, नक्शा, मौका निरीक्षण, पात्रता परीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक विधि पूर्ण कार्यवाही हेतु पत्रावली का संधारण नही किया गया है।

इस प्रकार, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी, जाति- मेघवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जो पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट भूमि का जारी किया गया है, उसी भूमि क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट का ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा संख्या 88 दिनांक 02.10.1972 को श्री हिरा पुत्र मोती जी मेघवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का एक बार विक्रय कर दिये जाने के बाद उसी भूमि का ग्राम पंचायत को पुनः पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के उक्त जांच रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी मेघवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जो पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट भूमि का जारी किया है उसमें रास्ते की भूमि भी सम्मिलित है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल ने अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी मेघवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में भूमि विक्रय के संबंध में प्रदत्त विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी हिरा पुत्र मोती जी, जाति- मेघवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में क्षेत्रफल 2687.5 वर्गफीट भूमि का पट्टा बुक संख्या 567 में से जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.7.2020 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:17 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही